P-1 R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject - Contract-II
Parttime lecturer | Specific Contract.

बैंक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति
[Performance - Guarantee]

जब दो पक्षकार द्वारा की गई संविदा में किसी पक्षकार के द्वारा, संविदा पालन किए जाने के लिए बैंक प्रत्याभूति देता है तो उसे बैंक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति कहते हैं। बैंक द्वारा की गई यह प्रत्याभूति बैंक द्वारा दी गई निष्पादन प्रत्याभूति है। बैंक द्वारा दी गई निष्पादन प्रत्याभूति की दशा में भी बैंक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब मूल ऋणी ऋण के भुगतान में चूक करता है। यदि निष्पादन प्रत्याभूति ऐसी है जो मूल ऋणी के चूक के बिना ही प्रवर्तनीय बनाई गई है तो यह धारा 126 के उपबन्धों को निष्फल कर देगी, और इस कारण, यह धारा 23 के अन्तर्गत शून्य व अवैध होगी।

देना बैंक बनाम फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि बैंक स्पष्ट वचन देता है कि एक पक्षकार द्वारा संविदा पालन न किए जाने पर, बिना आपत्ति के प्रत्याभूति की रकम की अदायगी कर देगा, ऐसी दशा में साखपत्र [Letter of credit] के समान होती है। यदि प्रत्याभूति बिना शर्त के एक पक्षकार द्वारा, संविदा-पालन नो किए जाने पर, दूसरे पक्षकार को एक निश्चित रकम देने के लिए है तो उस पक्षकार द्वारा, संविदा पालन न किए जाने पर बैंक को प्रत्याभूति रकम का भुगतान दूसरे पक्षकार को कर देना चाहिए, और यह तर्क महत्वहीन होगा कि जिस पक्षकार द्वारा संविदा-पालन न किए जाने के संबंध में प्रत्याभूति दी गई है, उसका दूसरे पक्षकार से विवाद उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वह संविदा-पालन नहीं कर रहा है। परन्तु यदि साखपत्र [Letter of credit] के अन्तर्गत सशर्त संविदा हुई है और शर्त का पालन नहीं किया गया है तो बैंक साखपत्र के अनुसार कार्य करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

निष्पादन प्रत्याभूति की दशा में यदि बैंक स्पष्ट वचन देता है तो मूल ऋणी द्वारा संविदा-पालन न किए जाने पर वह लेनदार को,

Scanned with CamScanner

P-2

R. M. M. LAW COLLEGE - SAHRSA

बैंक द्वारा निष्पादन प्रत्याभूति
(Performance Guaranteed)

माँग किए जाने पर, बिना आपत्ति के, प्रत्याभूति की रकम की अदायगी कर देगा, तो ऐसी दशा में संविदा पालन न किए जाने पर, बैंक का दायित्व उत्पन्न हो जायेगा और उसे बैंक प्रत्याभूति की शर्तों के अनुसार दायित्व का पालन करना होगा। बिना शर्त दी गई बैंक प्रत्याभूति की दशा में न्यायालय अपवादजनक परिस्थितियों में जैसे कपट अथवा भुगतान पर रोक और अन्याय होने की दिशा में ही हस्तक्षेप करता है।

Scanned with CamScanner